



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271134
CG-DL-E-20032026-271134

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1393]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1393]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1458(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 241.3 से कि.मी.281.3 (रत्नागिरी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौर सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 241.3 से कि.मी.281.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रत्नागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: संगमेश्वर					
गांव का नाम: तुरळ					
1	88 Part	निजी	कृषिक	0.0852 (हेक्टेयर)	0.0852
गांव का नाम: माभळे					
2	11a/4 Part	निजी	कृषिक	0.0208 (हेक्टेयर)	0.0208
3	11a/5 Part	निजी	कृषिक	0.0182 (हेक्टेयर)	0.0182
4	88 b Part	निजी	कृषिक	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
5	88a1a1/3a Part	निजी	कृषिक	0.0341 (हेक्टेयर)	0.0341
6	88b2 part	निजी	कृषिक	0.0233 (हेक्टेयर)	0.0233
गांव का नाम: आंबेड बु					
7	43/1a Part	निजी	कृषिक	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
8	43/2a Part	निजी	कृषिक	0.0276 (हेक्टेयर)	0.0276
9	5/13+14 a Part	निजी	कृषिक	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
10	76/1a part	निजी	कृषिक	0.0071 (हेक्टेयर)	0.0071
11	76/3a Part	निजी	कृषिक	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
12	77/1a part	निजी	कृषिक	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
13	77/3a Part	निजी	कृषिक	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
14	77/7 a Part	निजी	कृषिक	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
15	77/9 a Part	निजी	कृषिक	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
16	80 Part	निजी	कृषिक	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
17	81/12 a Part	निजी	कृषिक	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002

18	81/15 a Part	निजी	कृषिक	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
19	81/16aPart	निजी	कृषिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
20	81/21 a Part	निजी	कृषिक	0.0174 (हेक्टेयर)	0.0174
गांव का नाम: सोनगिरी					
21	43/6 a Part	निजी	कृषिक	0.0096 (हेक्टेयर)	0.0096
22	5/1 a Part	निजी	कृषिक	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
23	5/2a Part	निजी	कृषिक	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
24	5/4 Part	निजी	कृषिक	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
25	5/5a Part	निजी	कृषिक	0.0188 (हेक्टेयर)	0.0188
Total					0.3268

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1458(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km. 241.3 to Km. 281.3 (SDO Ratnagiri) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Ratnagiri in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH66 in the stretch of land from Km. 241.3 to Km. 281.3 (SDO Ratnagiri) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sangameshwar					
Village: Tural					
1	88 Part	Private	Agriculture	0.0852 (Hectare)	0.0852
Village: Mabhale					
2	11a/4 Part	Private	Agriculture	0.0208 (Hectare)	0.0208

3	11a/5 Part	Private	Agriculture	0.0182 (Hectare)	0.0182
4	88 b Part	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
5	88a1a1/3a Part	Private	Agriculture	0.0341 (Hectare)	0.0341
6	88b2 part	Private	Agriculture	0.0233 (Hectare)	0.0233
Village: AMBED BK.					
7	43/1a Part	Private	Agriculture	0.0042 (Hectare)	0.0042
8	43/2a Part	Private	Agriculture	0.0276 (Hectare)	0.0276
9	5/13+14 a Part	Private	Agriculture	0.0065 (Hectare)	0.0065
10	76/1a part	Private	Agriculture	0.0071 (Hectare)	0.0071
11	76/3a Part	Private	Agriculture	0.0105 (Hectare)	0.0105
12	77/1a part	Private	Agriculture	0.0009 (Hectare)	0.0009
13	77/3a Part	Private	Agriculture	0.0011 (Hectare)	0.0011
14	77/7 a Part	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
15	77/9 a Part	Private	Agriculture	0.0034 (Hectare)	0.0034
16	80 Part	Private	Agriculture	0.0059 (Hectare)	0.0059
17	81/12 a Part	Private	Agriculture	0.0002 (Hectare)	0.0002
18	81/15 a Part	Private	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
19	81/16aPart	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
20	81/21 a Part	Private	Agriculture	0.0174 (Hectare)	0.0174
Village: Songiri					
21	43/6 a Part	Private	Agriculture	0.0096 (Hectare)	0.0096
22	5/1 a Part	Private	Agriculture	0.0018 (Hectare)	0.0018
23	5/2a Part	Private	Agriculture	0.0084 (Hectare)	0.0084
24	5/4 Part	Private	Agriculture	0.0136 (Hectare)	0.0136
25	5/5a Part	Private	Agriculture	0.0188 (Hectare)	0.0188
Total					0.3268

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director